



गोपनीय/शीघ्र डाक

संख्या: जीए/सीए-1/लेखा/NEIA Trust/2019-20/ 191

सेवा में,

13/01/2021

The Managing Trustee,  
NEIA Trust  
C/o ECGC of India Limited,  
Express Towers,  
10<sup>th</sup> Floor, Nariman Point,  
Mumbai - 400 021.

106

14 JAN 2021

नम्रनि / CMD  
चेवालय / Sect'

का.नि.(पं.पा.)/E1  
Date: 15.01.2021  
S. No. 1823

विषय: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु NEIA Trust के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र।

महोदय,

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु NEIA Trust के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ सल्लभ है।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

पी.वी. हरिकृष्णा

(पी.वी. हरिकृष्णा)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (शिपिंग), मुंबई

संलग्न: यथोपरि।



कुम. से  
14/01/21  
को. नि. (प.पा.)  
मा. ज.  
15/01/21

15.01.2021  
म. प्र. (प.नि., एन.ई.आय.ए., वसुली)  
(PE, NEIA and Recovery)  
आवक सं. 593 दिनांक 15.01.2021

## AUDIT CERTIFICATE

I have audited the attached Balance Sheet of NEIA TRUST as at 31 March 2020 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date. Preparation of these financial statements is the responsibility of the management of NEIA TRUST. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I have conducted my audit in accordance with applicable rules and the auditing standards generally accepted in India. These standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

Based on our audit, I report that:

1. I have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
2. I report that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account are properly drawn up and are in agreement with the books of accounts.
3. In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me:
  - (i) the accounts give the information required under the prescribed format of accounts;
  - (ii) the said Balance Sheet, Income and Expenditure Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon give a true and fair view.
    - a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the NEIA TRUST as at 31 March 2020 and
    - b. In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

*P. V. Hari Krishna*

(P V Hari Krishna)

Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai.

Date: 13.01.2021



बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 33 व 34 के उपनियम (2) एवं नियम 19 के अधीन लेखापरीक्षित लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

पंजीकरण सं. E-23382 (MUMBAI)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : एन ई आई ए ट्रस्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(क)	क्या लेखों का नियमित एवं अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन रखरखाव किया जा रहा है ;	हाँ
(ख)	क्या लेखों में प्राप्तियों एवं वितरणों का उचित एवं सही विवरण उपलब्ध हैं;	हाँ
(ग)	क्या लेखा परीक्षा की तारीख को नकद शेष एवं वाउचर्स प्रबन्धक अथवा ट्रस्टी के कब्जे में थे एवं क्या लेखापरीक्षक लेखों के साथ सहमत हैं ;	हाँ
(घ)	क्या लेखा परीक्षकों द्वारा मांगे जाने पर, बहियाँ, समझौते, लेखे, वाउचर अथवा अन्य दस्तावेज़ अथवा रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए गए;	हाँ
(च)	क्या चल एवं अचल संपत्तियों का उचित रजिस्टर बनाया गया है, क्या उसमें समय समय पर हुए संशोधनों की जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय दी गयी है, एवं पिछले लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित त्रुटियों एवं अशुद्धियों को सुधारा गया;	कोई अचल संपत्ति नहीं है
(छ)	क्या लेखा परीक्षक द्वारा बुलाये जाने पर प्रबन्धक अथवा ट्रस्टी उनके समक्ष उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा मांगी गयी आवश्यक जानकारी प्रदान की;	हाँ
(ज)	क्या ट्रस्ट की संपत्ति अथवा निधियों का ट्रस्ट के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है;	नहीं
(झ)	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया रशियन एवं बट्टे खाते में डाली गयी राशियाँ, यदि कोई;	कुछ नहीं
(त)	क्या 5000/- रु से अधिक के व्यय वाले विनिर्माण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए;	लागू नहीं
(थ)	क्या पब्लिक ट्रस्ट की राशि को धारा 35 के प्रावधानों के विपरीत कहीं अन्य में निवेश किया गया;	नहीं
(द)	क्या लेखा परीक्षक के ध्यान में धारा 36 के प्रावधानों के विपरीत अचल परिसंपत्ति का कोई विलगाव, यदि कोई हो तो, आया ;	कुछ नहीं



(ध)	अनियमित, गैरकानूनी अथवा अनुचित व्यय अथवा जानबूझ कर राशि की वसूली अथवा पब्लिक ट्रस्ट की अन्य संपत्ति को पाने में विफलता अथवा उसकी राशि अथवा अन्य संपत्ति की हानि अथवा राशि की बरबादी तथा क्या इस प्रकार का व्यय , विफलता , जानबूझ कर तथ्यों को छोड़ा जाना, विश्वास तोड़ने के परिणाम स्वरूप अथवा गलत उपयोग अथवा ट्रस्ट के प्रबंधन के ट्रस्टी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अन्य अनाचरण के कारण इस प्रकार की हानि अथवा बरबादी हुई हो;	कुछ नहीं
(ट)	क्या नियम 16क द्वारा निर्धारित प्रारूप में बजट प्रस्तुत किया गया;	नहीं
(ठ)	क्या ट्रस्टियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या बनाए रखी गयी;	हाँ
(ड)	इस प्रकार के उपकरण में निर्धारित अनुसार नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है;	हाँ
(ढ)	क्या बैठकों के कार्यवृत्त बनाए गए हैं;	हाँ
(प)	क्या कोई ट्रस्टी की ट्रस्ट के निवेश में रुचि हैं ;	नहीं
(फ)	क्या कोई ट्रस्टी ट्रस्ट का उधारकर्ता अथवा उधारदाता है ;	नहीं
(ब)	क्या लेखा परीक्षकों द्वारा दर्शाई गयी पिछले वर्ष के लेखों में अनियमितताओं में सुधार करने का, लेखा परीक्षा के दौरान ट्रस्टियों द्वारा पूर्ण अनुपालन किया गया है;	अनुपालन किया जा रहा है।
(भ)	लेखा परीक्षकों की राय में सहायक चैरिटी आयुक्त अथवा उपायुक्त के समक्ष लाये जाने वाला कोई अन्य विशेष मुद्दा ;	कोई नहीं

कृते एल एन मारू एंड कंपनी  
सनदी लेखकर  
पंजीकरण सं 106069W

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारू  
भागीदार

सदस्यता सं .: - 033246

स्थान :- मुंबई

दिनांक -

UDIN:





# L N MARU & Co

Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382  
Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

## Report of an auditor relating to accounts audited under sub-section (2) of section 33 & 34 and rule 19 of the Bombay Public Trusts Act.

Registration No. E-23382 (MUMBAI)

Name of the Public Trust: NEIA TRUST


For the year ended: 31<sup>st</sup> March, 2020.

(a)	Whether accounts are maintained regularly and in accordance with the provisions of the Act and the rules;	YES
(b)	Whether receipts and disbursements are properly and correctly shown in the accounts;	YES
(c)	Whether the cash balance and vouchers in the custody of the manager or trustee on the date of audit were in agreement with the accounts;	YES
(d)	Whether all books, deeds, accounts, vouchers or other documents or records required by the auditor were produced before him;	YES
(e)	Whether a register of movable and immovable properties is properly maintained, the changes therein are communicated from time to time to the regional office, and the defects and inaccuracies mentioned in the previous audit report have been duly complied with;	THERE ARE NO FIXED ASSETS.
(f)	Whether the manager or trustee or any other person required by the auditor to appear before him did so and furnished the necessary information required by him;	YES
(g)	Whether any property or funds of the Trust were applied for any object or purpose other than the object or purpose of the Trust;	NO
(h)	The amounts of outstanding for more than one year and the amounts written off, if any;	NIL
(i)	Whether tenders were invited for repairs or construction involving expenditure exceeding Rs. 5000/-;	NA
(j)	Whether any money of the public trust has been invested contrary to the provisions of Section 35;	NO
(k)	Alienations, if any, of the immovable property contrary to the provisions of Section 36 which have come to the notice of the auditor;	NIL
(l)	All cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover monies or other property belonging to the public trust or loss or waste of money or other property thereof, and whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of breach of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the trustees or any other person while in the management of the trust;	NIL
(m)	Whether the budget has been filed in the form provided by rule 16A;	NO
(n)	Whether the maximum and minimum number of the trustees is maintained;	YES
(o)	Whether the meetings are held regularly as provided in such instrument;	YES
(p)	Whether the minute books of the proceedings of the meeting is maintained;	YES
(q)	Whether any of the trustees has any interest in the investment of the trust;	NO
(r)	Whether any of the trustees is a debtor or creditor of the trust;	NO



(s)	Whether the irregularities pointed out by the auditors in the accounts of the previous year have been duly complied with by the trustees during the period of audit;	Being attended to
(t)	Any special matter which the auditors may think fit or necessary to bring to the notice of the Deputy or Assistant Charity Commissioner;	NIL

For L N Maru & Co.  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.: 106069W



CA L N Maru  
Partner  
Membership No.: - 033246

Place:- Mumbai  
Date:- 25/09/2020

UDIN: 20033246AAAAAG8566



# एन ई आई ए ट्रस्ट N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06  
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

दिनांक 25 सितंबर 2020 को ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के आय के संचय को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा जारी संकल्प ।

विषय : ट्रस्ट के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाँच वर्षों की अवधि यथा मार्च 2025 तक के लिए ट्रस्ट के आय का संचय एवं निर्धारन

## संकल्प

“संकल्प किया गया कि एन ई आई ए ट्रस्ट (ट्रस्ट) की आय से निम्नलिखित उद्देश्य से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 292,31,37,833/- (दो सौ बानबवे करोड़ इकतीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ तैंतीस) की राशि का संचय कर दिनांक 31.03.2025 तक अलग रखा जाये:

1. राष्ट्रीय हित वाले मध्यम एवं दीर्घ अवधि के निर्यातकों की सुविधा के लिए एन ई आई ए योजना को कार्यान्वित करना।
2. समय समय पर भारत सरकार द्वारा मध्यम एवं दीर्घ अवधि के निर्यातकों के लिए निर्मित एवं ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित योजनाओं एवं इस प्रकार की अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन।
3. समय समय पर भारत सरकार द्वारा अपल्पावधि के निर्यातकों के लिए निर्मित एवं ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित योजनाओं एवं इस प्रकार की अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन।

“आगे संकल्प किया गया कि उक्त अनुसार संचित एवं अलग रखे गए आय को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अधीन निर्धारित अनुसूचित बैंकों में मियादी जमाओं में निवेश किया जाएगा।”

श्री सुनील जोशी, प्रबन्धक ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

श्री एम सैथिलनाथन, ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

श्री डेविड रस्कीना, ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी.लि. ( भारत सरकार का उद्यम ) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021.

Regd. Office: C/o ECGC Limited “formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited” (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10<sup>th</sup> floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522; [www.ecgcindia.com](http://www.ecgcindia.com)



एन ई आई ए ट्रस्ट  
N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06  
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

Resolution by circulation for the adoption of Accumulation of income of the NEIA Trust for the FY 2019-20 by the Board of Trustees on 25<sup>th</sup> September 2020

Subject : Accumulation and setting of income of the Trust for a period of five years, i.e. upto March, 2025 for utilization towards the specified objects of the Trust.

Resolution:

“RESOLVED THAT a sum of Rs.292,31,37,833/- (Rupees Two Hundred Ninety Two Crore Thirty One Lac Thirty Seven Thousand Eight Hundred and Thirty Three) to be accumulated and set apart upto 31/03/2025 out of the income of the NEIA Trust (“The Trust”) for the year ended 31<sup>st</sup> March 2020 for the following purpose:

1. To implement the NEIA Scheme for the benefit of Medium and Long term Exporters in National Interest.
2. To implement such other schemes for the benefit of Medium and Long term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
3. To implement such other schemes for the benefit of Short Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.

“RESOLVED FURTHER THAT the income accumulated and set apart as above shall be kept invested in the Fixed Deposits with the Scheduled Banks specified u/s 11(2) of the Income Tax Act, 1961.”

Shri Sunil Joshi, Managing Trustee

Shri M. Senthilnathan, Trustee

Shri David Rasquinha, Trustee





NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी.लि., ( भारत सरकार का उद्यम ) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.  
Regd.Office: C/o ECGC Limited “formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited” (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10<sup>th</sup> floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फॅक्स/Fax:022-66590517/522; [www.ecgcindia.com](http://www.ecgcindia.com)





# एन ई आई ए ट्रस्ट N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06  
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

दिनांक 25 सितंबर 2020 को ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के वार्षिक लेखों को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा जारी संकल्प।

संकल्प:

“संकल्प किया गया कि दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के लिए वार्षिक लेखों में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों एवं 31 मार्च 2020 तक के तुलन पत्र को एतद्वारा ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा अपनाया गया।”

श्री सुनील जोशी , प्रबन्धक ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

श्री एम सेंथिलनाथन , ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

श्री डेविड रस्कीना , ट्रस्टी

हस्ताक्षरित



NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी.लि., ( भारत सरकार का उद्यम ) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

Regd. Office: C/o ECGC Limited "formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited" (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10<sup>th</sup> floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522; [www.ecgcindia.com](http://www.ecgcindia.com)

एन ई आई ए ट्रस्ट

N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06  
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

Resolution by circulation for the adoption of annual accounts of NEIA Trust for the FY 2019-20, by the Board Of Trustees on 25<sup>th</sup> September 2020

Resolution:

“RESOLVED THAT the annual accounts of the NEIA Trust for the year ended 31st March 2020 consisting of income & Expenditure Accounts for the period ended 31st March 2020 and Balance Sheet as on 31st March 2020, be and hereby adopted by the Board Of Trustees.”

Shri Sunil Joshi, Managing Trustee

Shri M. Senthilnathan, Trustee

Shri David Rasquinha, Trustee





NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी.लि., ( भारत सरकार का उद्यम ) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.  
Regd. Office: C/o ECGC Limited “formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited” (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10<sup>th</sup> floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522; [www.ecgcindia.com](http://www.ecgcindia.com)

निधियों एवं देयकारों	राशि रु में	राशि रु में	संपत्ति एवं आनिवार्य	राशि रु में	राशि रु में
<p><b>ट्रस्ट की निधि अथवा कॉर्पोरेशन</b>                      पिछले तुलन पत्र के अनुसार देय                      जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त बावर्ती योग्य निधि                      27,91,00,00,000                      3,00,00,00,000</p> <p><b>अन्य निर्धारित निधियाँ :-</b>                      ( ट्रस्ट के माध्यम से, समझौते अथवा लेखना अथवा अन्य के अधीन निधि )</p> <p>मूल्यवान निधि                      भ्रमण बोधन निधि                      प्रारंभिक निधि                      कोई अन्य निधि - विभाग प्रारंभिक निधि</p> <p><b>भ्रमण ( सुरक्षित एवं असुरक्षित )</b>                      न्यायियों की ओर से                      अन्य की ओर से</p> <p><b>देयकारों</b>                      जयों हेतु                      लोक न्याय प्रदाता को देय अंशदान                      लक्षित शर्तों हेतु प्रत्यक्ष                      अर्पणों हेतु                      संविधान की ओर से मांगी शुल्क                      अन्य की ओर से मांगी शुल्क                      भ्रमण चतु: अन्वयित अधिन मांगी शुल्क                      अधिरक्षक मांगी शुल्क की बावर्ती हेतु प्रत्यक्ष                      विचारों एवं अन्य उपायों हेतु                      विविध भ्रमण देय हेतु                      देय बोधन पत्र, बटौती                      विविध देयकार                      प्रतिनिधियों को देय</p> <p>अन्योचित नोटिसों हेतु प्रारंभिक निधियाँ</p> <p><b>अपराज्य एवं व्यवसाय</b>                      पिछले तुलन पत्र के अनुसार देय                      पदार्थ : निविदाएं, यदि कोई हो तो                      जोड़े: अपराज्य एवं व्यवसाय के अनुसार अधिरोप (घट)</p>	<p>48,08,72,888                      45,30,62,947                      10,11,91,736                      3,54,07,22,603                      96,85,166                      45,10,000                      1,13,400                      3,71,37,844                      2,13,83,77,642                      52,37,47,385</p>	<p>30,91,00,00,000                      12,23,19,34,577</p> <p><b>भ्रमण ( सुरक्षित एवं असुरक्षित ) : (सोध्य एवं असोध्य भ्रमण )</b>                      भ्रमण छात्रवृत्ति                      अन्य भ्रमण</p> <p><b>अर्पण :-</b>                      न्यायियों को                      न्यायियों को                      जेजेबॉय को                      बच्चों को                      अन्वी को                      वृद्ध प्रजनन                      अधिन भ्रमण                      वृद्ध प्रजनन</p> <p><b>व्यवसाय आय</b>                      लिखा                      व्याज                      अन्य आय</p> <p><b>नकद एवं बैंक शेष</b>                      (क) निरपेक्ष बैंक के पास प्राप्त खातों में                      (ख) निविदाओं के पास</p> <p><b>विविध बैंकों के पास निधायी भ्रमण</b>                      (ग) न्यायियों के पास                      (घ) प्रत्यक्ष के पास</p>	<p>5,37,66,37,732                      3,04,00,00,000                      18,20,95,718</p> <p>8,59,87,33,450</p> <p>1,83,13,29,924</p> <p>5,56,54,424</p> <p>39,94,56,38,590</p>	<p>50,43,13,56,188</p>	<p>50,43,13,56,188</p>
<b>कुल योग</b>	<b>50,43,13,56,188</b>	<b>50,43,13,56,188</b>	<b>कुल योग</b>	<b>50,43,13,56,188</b>	<b>50,43,13,56,188</b>

उक्त तुलन पत्र में हमारे सार्वजनिक विभाग के अनुसार, में निधियों एवं देयकारों एवं ट्रस्ट की संपत्ति का उचित विवरण उल्लेख है।

कुल देय रु. आठ ए. ट्रस्ट

हस्ताक्षरित

(सुनील जोशी )  
प्रबंधकीय न्यायी

हस्ताक्षरित

(एन. रंजितनन )  
न्यायी

हमारी मूल तारीख की तिथि के अनुसार  
 कुल देय एवं प्राप्त रु. के  
 समतोल लेखांक  
 एन. सीकरण सं. 106069W

हस्ताक्षरित

(एन. एन. शर्मा )  
 न्यायी - M. No. 033246



Registration No. : E 23382

**SCHEDULE - VIII**  
**[Vide Rule 17 (1)]**

Name of the Public Trust: NEIA Trust  
Balance Sheet As At: 31/03/2020

FUNDS & LIABILITIES		Amounts in Rs	Amounts in Rs	PROPERTY & ASSETS	Amounts in Rs	Amounts in Rs
<b>Trusts Funds or Corpus :-</b>				<b>Immovable Properties :-</b>		
Balance as per last Balance Sheet		27,91,00,00,000		Balance as per last Balance Sheet		
Add: Refundable fund received during the year		3,00,00,00,000	30,91,00,00,000	Additions during the year		
				Less: Sales during the year		
				Depreciation up to date		
<b>Other Earmarked Funds :-</b>				<b>Investments :-</b>		
(Created under the provisions of the trust deed or scheme or out of the Income)				Furniture & Fixtures :-		
Depreciation Fund				Balance as per last Balance Sheet		
Sinking Fund				Additions during the year		
Reserve Fund				Less: Sales during the year		
Any Other Fund- Special Reserve			12,23,19,34,577	Depreciation up to date		
<b>Loans (Secured or Unsecured) :-</b>				<b>Loans (Secured or Unsecured) : Good/doubtful</b>		
From Trustees				Loans Scholarships		
From Others				Other Loans		
<b>Liabilities :-</b>				<b>Advances :-</b>		
For Expenses		48,08,72,888		To Trustees		
Contribution Due to Public Trust Administration Fund		45,30,62,947		To Employees		
Provision for Pending Claim		10,11,91,736		To Contractors		
For Advances		3,54,07,22,603		To Lawyers		
Guarantee Fees from ECOC		96,85,166		To Others		
Guarantee Fees received in advance but not allocated				Prepaid Taxes	5,37,66,37,732	
Provision for refund of Excess Guarantee Fee				Advance Tax payment	3,04,00,00,000	
For Rent & Other Deposits				Prepaid expenses	18,29,95,718	8,59,87,33,450
For Sundry Credit Balances				<b>Income Outstanding :-</b>		
TDS Payable		45,10,000		Rent		
Sundry Creditors		1,13,400		Interest		
Payable to ECOC		3,71,37,844	4,62,72,96,584	Other Income		1,83,13,29,924
Reserve for Unexpired Risks				<b>Cash and Bank Balances :-</b>		
<b>Income and Expenditure Account :-</b>				(a) In Current Account with Corporation Bank		5,56,54,424
Balance as per last Balance Sheet		2,13,83,77,642		In Fixed Deposit Account with various banks		39,94,56,38,390
Less: Appropriation, if any				(b) With the Trustee		
Add: Surplus (Deficit) as per Income and Expenditure Account		52,37,47,385	2,66,21,25,027	(c) With the Manager		
<b>Total</b>			<b>50,43,13,56,187</b>	<b>Total</b>		<b>50,43,13,56,187</b>

The above Balance Sheet to the best of our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Assets of the Trust.

For NEIA TRUST

As per our report of even date,  
FOR L N MARU & CO.

*Sumil Joshi*  
(Sumil Joshi)  
Managing Trustee


Chartered Accountants  
Regn. No. 106059W

*David Rasquinha*  
(David Rasquinha)  
Trustee

L. N. MARU & CO. \*  
MUMBAI  
\* CHARTERED ACCOUNTANTS

L. N. MARU  
Chartered Accountants  
Regn. No. 106059W

Trustee - M. No. 033246



Date: 25/09/2020  
Place: Mumbai

अनुसूची - IX  
(विधियां 17 (1) देखें)

संवीकरण सं. : E 23382

दिनांक: 31/03/2020 तक का आग न्याय खाता

व्यय	राशि रु में	आय	राशि रु में	राशि रु में	
<b>समाप्तियों के संतुल्य में व्यय</b> बैंड, एच एच अकाउंट मानव संसाधन एच एच अकाउंट बैंगन बीमा सुदृढता अन्य व्यय स्वायत्त व्यय से संबंधित न्यायिकों हेतु पारंपरिक से संबंधित पारंपरिक हेतु (गणना के माहौल में) घण्टाई प्रभाव प्रशासनिक व्यय हेतु प्रशासनिक प्रभाव लोक न्याय प्रशासन क्षेत्र में अंशदान	3,21,05,252 7,99,08,880	वित्तपोषण द्वारा अभिलेख व्याज द्वारा अभिलेख संवर्धित न्याय वस्तु संवर्धित न्याय पर कर कटौती आय कर वापसी कर्मों पर सैक खाते पर साधारण पर सकट अथवा वस्तु के रूप में दान द्वारा अनुदान द्वारा अन्य स्रोत से आय द्वारा (यथा संभव विवरण दर्शाएं) प्रारंभिक निधि से अंतरण द्वारा प्राप्त गांठी मुल्क द्वारा द्वितीयता अन्य दान वापसी द्वारा दानों हेतु प्रकथनों के विवरण द्वारा बापता विपणन विविध स्रोत पूर्वनिधि आय के द्वारा आपसक वापसी पर व्याज सुलभ पत्र से आयें लागू पत्रा घटा	26,38,883 11,20,14,132 45,30,62,947 82,600 2,442 96,85,166 3,713 2,92,31,37,833 52,37,47,385	1,83,13,29,924 77,20,61,389 28,97,18,975 2,89,31,10,288	
<b>विविध व्यय हेतु</b> संविदा दायों हेतु प्रकथन के लिए सेवा परीक्षा मुल्क हेतु सैक मुल्क हेतु अंशदान एवं मुल्क हेतु बड़े खातों में डाली पत्रा राशि हेतु असौजन्य अथवा अभिलेखन हेतु अन्य परदे अतिरिक्त गांठी मुल्क की वापसी हेतु प्रकथन विविध व्यय हेतु मुख्यालय हेतु आवृत्त अथवा विविध निधि में स्थानांतरित राशि हेतु <b>ट्रस्ट के खर्च पर व्यय हेतु :-</b> पारंपरिक शैक्षणिक विकासकारी राहत महिला सहाय अन्य कोटिगत खर्च दुर्लभ पत्र से ले जाया गया अभिलेख			4,02,43,75,101	4,02,43,75,101	
<b>कुल योग</b>	<b>4,02,43,75,101</b>	<b>कुल योग</b>	<b>4,02,43,75,101</b>	<b>4,02,43,75,101</b>	

कुले एन ई आई ए ट्रस्ट

इसकी संपत्ति की शिर्ष के अन्तर्गत  
कुले एन एन एन एच एच के  
संबंधी लेखांक  
सं. संवीकरण सं 106069W

हस्ताक्षरित

(संविदा बोधो)  
प्रबन्धकिय न्यासी

हस्ताक्षरित

(एच सी/व्यय)  
न्यासी

हस्ताक्षरित

(संविदा रिक्त)  
न्यासी

हस्ताक्षरित

(एन एन एन)  
भागीदार - एच सं. 033246



दिनांक : 25/09/2020  
स्थान : मुंबई

**SCHEDULE - IX**  
[ Vide Rule 17 (1) ]

Name of the Public Trust : NEIA Trust  
Income and Expenditure Account for the year ending 31st March 2020

Registration No.- E 23382

EXPENDITURE	Amounts in Rs	Amounts in Rs	INCOME	Amounts in Rs	Amounts in Rs
<b>To Expenditure in respect of properties :-</b>			By Rent Accrued Realised		
Rates, Taxes, Cesses					
Repairs and maintenance					
Salaries					
Insurance					
Depreciation			By Interest Accrued On		
Other Expenses			Fixed Deposits	1,83,13,29,924	
To Establishment Expenses					
To Remuneration to Trustees			Realised On		
To Remuneration (In the case of a math)		26,38,883	Fixed Deposits	77,20,61,389	
To Consultancy Charges			TDS on Fixed Deposits	28,97,18,975	2,89,31,10,288
To Administrative expenses :			On Loans		
Administration Charges	3,21,05,252		On Bank account		
Contribution to Public Trust Administration Fund	7,99,08,880	11,20,14,132	By Dividend		
To Legal Expenses			By Donation in Cash or Kind		
To Provision for pending Claims		45,30,62,947	By Grants		
To Audit Fees		82,600	By Income From Other Source (In details as far as possible)		
To Bank Charges		2,442	By Transfer from Reserve		
To Contribution and Fees					
To Amount Written Off-			By Guarantee Fees Received		
Bad Debts			ECGC	5,13,07,887	
Loan Scholarships			Others	44,77,60,291	49,90,68,178
Irrecoverable Rents			By Claim Recovery		12,55,71,631
Other Items			By Reversal of Provision for claims		50,66,25,005
To Provision for Refund of Excess Guarantee Fee		96,85,166			
To Miscellaneous Expenses		3,713			
To Depreciations					
To Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds		2,92,31,37,833			
<b>To Expenditure on object of the Trust :-</b>					
Religious					
Educational					
Medical Relief					
Relief of poverty					
Other Charitable objects					
To Surplus carried over to Balance Sheet		52,37,47,385			
<b>TOTAL</b>		<b>4,02,43,75,101</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4,02,43,75,101</b>

For NEIA TRUST




(Sunil Joshi)  
Managing Trustee



(M. Senthilnathan)  
Trustee



(David Rasquinha)  
Trustee



As per our report of even date,  
FOR L N MARU & CO.

Chartered Accountants  
From Regn. No. 1060698

L N Maru  
Partner - M. No. 033246

Date: 25/09/2020  
Place: Mumbai



अनुसूची IX -ग

31/03/2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए योगदान के लिए दावी सार्वजनिक ट्रस्ट की आय का विवरण

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम और पंजीकृत सं. : एन ई आई ए ट्रस्ट

पंजीकृत सं. :- E 23382

		Rs.	Rs.
I	आय को आय एवं व्यय खाते (अनुसूची IX) में दिखाया गया है		4,02,43,75,101
II	धारा 58 और नियम 32 के तहत योगदान करने के लिए आवश्यक नहीं		
(i)	अन्य सार्वजनिक ट्रस्ट और धर्मदास से प्राप्त हुआ दान		
(ii)	सरकार और स्थानीय प्राधिकारों से प्राप्त अनुदान		
(iii)	रूब या मूल्यदास तिथि पर व्याज		
(iv)	धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उद्देश्य से खर्च की गई राशि		
(v)	चिकित्सा राहत के उद्देश्य से खर्च की गई राशि		
(vi)	पशुओं के पशु चिकित्सा के उद्देश्य से खर्च की गई राशि		
(vii)	विद्यारथ से उत्पन्न संकाद से राहत के लिए दान से किया गया व्यय। सूख, बाढ़, आग या अन्य प्राकृतिक आपदा		
(viii)	कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से होने वाली आय में से कटौती		
(क)	भू-राजस्व और स्थानीय निधि उपकर		
(ख)	बेहतर मकान मातृक को देय किया गया		
(ग)	उत्पादन की लागत अगर ट्रस्ट द्वारा भूमि की खेती की जाती है		
(घ)	गैर कृषि प्रयोजन से उपयोग की जाने वाली भूमि से होने वाली आय में से कटौती -		
(क)	मूल्यांकन, उपकर और अन्य सरकारी या नगरपालिका कर		
(ख)	मकान मातृक को देय जमीन कर किया गया		
(ग)	वीमा प्रीमियम		
(घ)	इमारतों के सकल किराए का 10 प्रतिशत मरम्मत पर		
(ङ)	भवन के सकल किराए का 4 प्रतिशत संग्रह की लागत की समाप्ति तक		
(ख)	ऐसी आय का एक प्रतिशत पर प्रतिभूतियाँ, स्टॉक आदि से आय के संग्रह या प्राप्ति की लागत रुपये की व्याज आय का 1% 2,89,31,10,287.60	2,89,31,103	
(ख)	किराए पर नहीं और इमारतों के संबंध में मरम्मत के कारण कटौती अनुमानित सकल वार्षिक किराए का 10 प्रतिशत आय पर आय		2,89,31,103
	सकल वार्षिक आय योगदान के लिए प्रभार्य		3,99,54,43,998
	धारा 58 की उपधारा (1) के तहत निर्धारित दर पर योगदान की राशि और योगदान की कुल वार्षिक आय का 2% देय		7,99,08,880

"प्रमाणित किया गया है कि उपरोक्त अनुसूची के तहत स्वीकार्य कटौती का दावा करते हुए, हमने अनुसूची में उल्लिखित किसी भी बस्तु के विरुद्ध दो बार पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी राशि का दावा नहीं किया है, जिसमें दोहरा कटौती का प्रभाव है।"

कुले एन ई आई ए ट्रस्ट

जहाँ कब लक्ष्य की दिशा में अग्रसर  
कुले एन एन मास्टर & के  
सन्दी सेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या : 106069 W

हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित  
(सुनील जोशी) (एम संचितनाथन) (डेविड रविनाम)  
प्रबंधक ट्रस्टी ट्रस्टी ट्रस्टी

हस्ताक्षरित  
एन एन मास्टर  
आगोदार एम सं. 033246

दिनांक 25-09-2020  
स्थान मुंबई  
एन ई आई ए ट्रस्ट  
c/o ईसीजीसी लिमिटेड, 10वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021



SCHEDULE IX -C

Statement of income of the public trust liable to contribution for the year ended 31/03/2020

Name and Registered No of Public Trust : NEIA TRUST


Regn. No.- E 23382

		Rs.	Rs.
I	Income is shown in the Income and Expenditure Account (Schedule IX)		4,02,43,75,101
II	Items not chargeable to contribution under section 58 and rule 32		
	(i) Donations received from other public trust and Dharmads		
	(ii) Grant received from Government and local authorities		
	(iii) Interest on Sinking or Depreciation Fund		
	(iv) Amount spent for the purpose of secular education		
	(v) Amount spent for the purpose of medical relief		
	(vi) Amount spent for the purpose of veterinary treatment of animals		
	(vii) Expenditure incurred from donations for relief of distress caused by scarcity, drought, flood, fire or other natural calamity		
	(viii) Deduction out of income from lands used for agricultural purpose -		
	(a) Land revenue and Local Fund Cess		
	(b) Rent payable to superior landlord		
	(c) Cost of production if lands are cultivated by the trust		
	(ix) Deductions out of income from lands used from non agricultural purpose -		
	(a) Assessment, cesses and other Government or municipal taxes		
	(b) Ground rent payable to the superior landlord		
	(c) Insurance premia		
	(d) Repairs at 10 per cent of gross rent of buildings		
	(e) Cost of collection at 4 per cent of gross rent of building let out		
	(x) Cost of collection of income or receipt from securities, stocks etc. at one percent of such income 1% of Interest Income of Rs. 2,89,31,10,287.60	2,89,31,103	
	(xi) Deductions on account of repairs in respect of buildings not rented and yielding to income, at 10 per cent of the estimated gross annual rent		2,89,31,103
	Gross annual income chargeable to contribution		3,99,54,43,998
	Amount of contribution computed at the rate fixed under the sub-section (1) of section 58 and payable 2% of Gross annual income chargeable to contribution		7,99,08,880

"Certified that while claiming deductions admissible under the above Schedule, we have not claimed any amount twice, either wholly or partly, against any of the items mentioned in the Schedule which have the effect of double deduction."

For NEIA TRUST

  
(Sunil Joshi)  
Managing Trustee

  
(M. Senthilnathan)  
Trustee

  
(David Rasquinha)  
Trustee



As per report of even date,  
FOR L N MARU & CO.  
Chartered Accountants  
Firm Regn. No. 106069W

L N Maru  
Partner - M. No. 033246

Date : 25/09/2020  
Place : Mumbai





एन ई आई ए ट्रस्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क. पृष्ठभूमि

1. इस ट्रस्ट का निर्माण मध्यम एवं दीर्घआवधिक उच्च मूल्य की वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य एवं राष्ट्रिय हित वाली परियोजनाओं, जिन पर पुनर्बीमा रक्षा उपलब्ध नहीं हो अथवा जिसकी लागत अत्यंत अधिक हो एवं जो अल्पावधि निर्यातों के लिए लाभकारी हो, के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ट्रस्ट के समझौते के अनुसार, ट्रस्ट को समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन करना होगा। तदनुसार भारत सरकार ( भा स ) द्वारा दिनांक 12.02.2009 को जारी संकल्प सं 616/2009- E&MDA के जरिये इसके लिए एक से अधिक उद्देश्यों का समावेशन किया गया जिसके अनुसार (1) माइक्रो , लघु एवं मध्यम उपक्रम ( एम एस एम ई ) निर्यातकों एवं कुछ विशेष व्यापार से जुड़े निर्यातकों जैसे टेक्सटाइल, आभूषण आदि जिन पर ईसीजीसी द्वारा बीमांकन किया गया है, के लिए 5% की अतिरिक्त रक्षा (2) ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा बीमांकन किये गये बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा रक्षा ( ई सी आई बी ) के अधीन रक्षा प्राप्त बैंकों के लिए 10% की अतिरिक्त रक्षा।
2. एन ई आई ए का सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय , ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में दिनांक 8 मई 2006 को 21 मार्च 2006 के ट्रस्ट समझौते एवं दीनानाक 29 मार्च 2006 को संयुक्त सचिव , वाणिज्य विभाग , वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार , के जरिये भारत के राष्ट्रपति एवं ईसीजीसी लिमिटेड के बीच हुए संशोधित ट्रस्ट समझौते के जरिये पंजीकरण किया गया जिसकी पंजीकरण सं ई 23382 है। आगे , योजना आवेदन सं 7/2010 में सहा. आयुक्त, चैरिटेबल ट्रस्ट के आदेश के अनुसार बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 50ए के अधीन अल्पावधि निर्यातों की सुविधा के लिए एक योजना निर्मित की गयी।
3. ट्रस्ट कार्यालय की स्थापना, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य संबन्धित संरचना सहित आरंभिक स्थापना के सभी लागत का व्यय ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वहन किया गया।



**ख. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ :**

1. **मूलभूत लेखा नीति** :- वित्तीय विवरणों को प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार पर एवं भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुपालन में तैयार किया गया है।

2. **अनुमानों का उपयोग :**

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा जब इनका परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आयेंगे ।

3. **राजस्व मान्यता :**

आयकर पर ब्याज के अलावा , ब्याज एवं अन्य आय की उपचयित आधार पर गणना की गयी है।

4. **गारंटी शुल्क ( अन्य ) लेखांकन**

भारतीय एक्विजिशन बैंक से ईसीजीसी लिमिटेड को समर्थन प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क को रक्षा की शेष आवधि के लिए आनुपातिक तौर विभाजित किया गया।

5. **गारंटी शुल्क ( ईसीजीसी ) लेखांकन**

ईसीजीसी लिमिटेड को समर्थन प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क को रक्षा की शेष आवधि के लिए आनुपातिक तौर विभाजित किया गया।

6. **दावों के कारण उत्पन्न देयता :**

वर्ष के अंत तक बकाया दावों के लिए देयता का निर्धारण , ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा अधिकतम जोखिम सीमा तक प्रदान किए दावों के आधार पर किया गया।

7. **कर निर्धारण के लिए प्रावधान**



आयकर अधिनियम 1961 के अनुकरण में चालू लेखांकन अवधि के लिए कर योग्य लाभ की गणना के आधार पर कर हेतु प्रावधान किए गए। तथापि इसके लिए कृपया भाग ग के नोट 4 एवं 5 का संदर्भ लें।

#### 8. प्रशासनिक प्रभार

ट्रस्ट के प्रशासनिक एवं स्थापना लागत एवं इसकी योजनाओं से संबन्धित लागतों पर होने वाले व्ययों का वहन ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा किया जाता है जिस पर वह सकल गारंटी शुल्क के 5% तक सेवा प्रभार प्राप्त करने के हकदार है। ईसीजीसी लिमिटेड को अदा किए जाने वाले ये प्रभार रक्षा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान मान्य होंगे।

#### ग. लेखों के भाग बनाने वाले नोट :

1. यह ट्रस्ट भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ( आई आर डी ए आई ) के पास पंजीकृत नहीं है। ट्रस्ट द्वारा पंजीकरण के संबंध में आई आर डी ए आई को संप्रेषित किया गया है परंतु अभी तक इस संबंध में ट्रस्ट को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
2. ट्रस्ट ने गारंटी शुल्क की प्राप्ति पर ईसीजीसी लिमिटेड को कुछ बीमा रक्षाओं पर गारंटी प्रदान की है। इस संबंध में इस व्यवस्था के विषय में आई आर डी ए आई को सूचित किया गया है। वर्ष के दौरान, ट्रस्ट को ईसीजीसी लिमिटेड की ओर से 11,01,03,414/- करोड़ रु का गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ है जिसमें से 2,83,92,881/- करोड़ रु चालू वर्ष के लिए है एवं भविष्य में गारंटी रक्षा की वैध अवधि के लिए 8,17,10,533/- करोड़ रु की शेष राशि का आबंटन किया गया है। चालू वर्ष के लिए कुल गारंटी शुल्क आय 5,13,07,887/- करोड़ रु रही जिसमें पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त अग्रिम गारंटी शुल्क में से चालू वर्ष के लिए आबंटित 2,29,15,006/- करोड़ रु भी शामिल हैं। इस राशि का उल्लेख आय एवं व्यय खाते में अलग से किया गया है।
3. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950, की धारा 58 के प्रावधानों के अधीन , ट्रस्ट को अधिनियम की अनुसूची IXC के अधीन दर्शाई गई आय के 2% को सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में अंशदान करना होगा। किसी अन्य ट्रस्ट द्वारा इस कथित प्रावधान को चुनौती दी गयी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संबन्धित ट्रस्ट के पक्ष में इस पर रोक लगाने के



आदेश दिये गए। जहां तक एन ई आई ए ट्रस्ट का सवाल है , 31 मार्च 2020 को इसके द्वारा सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि को देय कुल 48,08,72,888/- की राशि ( चालू वर्ष में 7,99,08,880/- रु सहित ) का प्रावधान किया गया है एवं अब तक इस संबंध में लंबित अंतिम निर्णय को देखते हुए कोई अंशदान नहीं किया गया है।

4. क) ट्रस्ट के आय कर मूल्यांकन , मूल्यांकन वर्ष 2009-2010 तक आय में बिना किसी समायोजन / परिवर्धन के पूरे कर लिए गए हैं। तत्पश्चात, कर विभाग द्वारा, अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधन के उपरांत, जिसके अधीन चैरिटेबल उद्देश्य की परिभाषा में संशोधन किया गया है, मूल्यांकन वर्ष 2010-2011 से लेकर 2015-2016 तक आय कर अधिनियम 1961 की धारा 11 ( अधिनियम ) के अधीन ट्रस्ट द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2009-2010 से छूट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है , अतः इसकी गतिविधियों को सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य के विस्तार के रूप में नहीं लिया जाएगा। आयकर अपील न्यायाधिकरण सहित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष कथित अवधि के दौरान विवादग्रस्त इस प्रकार के छूट प्रदान करने के लिए कर विभाग द्वारा अस्वीकृति का परिणाम कथित अवधि के लिए 410.87 करोड़ रु के सकल कर मांग के रूप में सामने आया। मूल्यांकन वर्ष 2012-2013 से 2014-2015 तक के लिए लंबित अपीलों के दौरान ट्रस्ट द्वारा 138.72 करोड़ रु ( ब्याज सहित ) की अदायगी की गयी। ट्रस्ट द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2010-2011 के संबंध में आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित अपील के लिए विरोध के साथ अधिनियम की धारा 271 (1) (ग) के अधीन 72 करोड़ रु के दंड की अदायगी की ।

(ख) अत्यंत सावधानी के विषय के रूप में "साधारण सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य को पूरा करने की गतिविधि" के कारण यह विवाद संबंधी किसी भी प्रकार के पक्षपात के, ट्रस्ट अधिनियम की धारा 11 के अधीन लाभ के लिए पात्र है: -

- (i) इसके द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2012-2013 से लेकर मूल्यांकन वर्ष 2014-2015 तक के लिए लागू कर व ब्याज की स्वगणना की गयी एवं उसकी अदायगी की गयी है।



(ii) मूल्यांकन वर्ष 2015-2016 से लेकर मूल्यांकन वर्ष 2018-2019 तक ट्रस्ट द्वारा संगत वर्षों के लिए आय की गणना के आधार पर अग्रिम कर के किस्तों की अदायगी की जा रही है।

ग ) ट्रस्ट द्वारा , पूर्व के पैरा 1 में उल्लिखित अनुसार 410.87 करोड़ रु के सकल कर देयता के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया क्यों कि उसे सलाह दी गयी है कि ट्रस्ट धारा 2(5) के अधीन " चैरिटेबल उद्देश्य " के अधीन आता है तथा अतः वह अधिनियम की धारा 11 के अधीन सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र है। मूल्यांकन वर्ष 2010-2011 एवं मूल्यांकन वर्ष 2011-2012 एवं 2012-2013 के संबंध में आई टी ए टी द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में क्रमशः 18.01.2019 एवं 24.12.2019 को आदेश पारित किए गए हैं। इसी प्रकार सी आई टी ( ए ) द्वारा भी मूल्यांकन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 के संबंध में दिनांक 01.03.2019 के जरिये आदेश पारित किए गए हैं। आई टी ए टी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया कि ट्रस्ट का उद्देश्य चैरिटेबल ट्रस्ट से है।

5. ट्रस्टियों की राय में , दिनांक 31.03.2015 को 8,635.50 करोड़ रु , दिनांक 31.03.2016 को 17,395.86 करोड़ रु , दिनांक 31.03.2017 को 24,028.94 करोड़ रु , 31.03.2018 को 24,028.94 करोड़ रु 31.03.2020 को 29,555.28 करोड़ रु के ट्रस्ट द्वारा जारी कुल रक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 11(3) के प्रावधानों के अनुसार , 1,31,72,67,935 रु के संचय ( जिसे अगले 5 वर्षों के दौरान उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान अलग रखा गया था एवं जिसे 5 वर्षों के दौरान उपयोग न किए जाने पर, संभावित आय माना जाएगा ) को वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान आय नहीं माना गया है क्यों कि इस संचित आय को उपयोग किया जा चुका माना गया है एवं अधिनियम की धारा 11(3) के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं।
6. लेखा परीक्षकों की परिलब्धियों में 55,000 रु की लेखा परीक्षा शुल्क एवं 15,000 रु की कर लेखा परीक्षा शुल्क ( जी एस टी को छोड़ कर ) शामिल है।
7. चालू वर्ष के दौरान आय एवं व्यय खाते में 289.31 करोड़ रु के आय ब्याज की गणना उपचयित आधार पर की गयी है, हालांकि ट्रेसेस ( टी डी एस मिलान विश्लेषण सुधार सक्षम



- प्रणाली )( (TDS Reconciliation Analysis a Correction Enabling System) के 26 एस के अनुसार 289.71 करोड़ रु की आय ब्याज की गणना हुई है। ऐसा स्रोत पर कर कटौती ( टी डी एस ) की राशि कि गणना के लिए प्रत्येक बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली पृथक पद्धति के कारण हुआ है।
8. चैरिटी आयुक्त के कार्यालय , मुंबई ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 से लेकर 2018-2019 तक के वित्तीय विवरणों की विधिवत प्रस्तुति की गयी है।
9. प्रबंधन द्वारा उसके आपूर्तिकर्ताओं से माइक्रो , लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम , 2006 ( एम एस एम ई डी ) के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के पास उनके पंजीकरण के संबंध में पुष्टि प्राप्त की गयी है। तथापि , किसी भी पार्टी द्वारा अधिनियम के अधीन उनके पंजीकरण की पुष्टि नहीं की गयी है। तदनुसार , इस संबंध में कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी। लेखापरीक्षकों द्वारा प्रबंधन के कथित प्रस्तुति पर विश्वास किया गया है।
10. दिनांक 31 मार्च 2020 को आकस्मिक देयता 32,567.18 करोड़ रु रही जिसमें ट्रस्ट द्वारा 16,867.50 करोड़ रु के जोखिम मूल्य के लिए इसीजीसी लिमिटेड को एवं 12,768.50 करोड़ रु के जोखिम मूल्य के लिए भारतीय एक्जिम बैंक को प्रदत्त गारंटियाँ शामिल हैं।

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षरित  
(सुनील जोशी )

हस्ताक्षरित  
(एम सेंथिलनाथन )

हस्ताक्षरित  
(डेविड रस्किना)

दिनांक :  
स्थान : मुंबई



NEIA TRUST

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

A. BACKGROUND

1. The trust is formed with the objective to ensure the availability of credit risk cover for the medium and long term high value projects which are commercially viable and desirable from the point of view of national interest where reinsurance cover is not available or its cost is very high and also for the benefit of short -term exports. As per the Trust Deed, the trust is also required to follow any other instructions as given by the Government of India from time to time. Accordingly, the Govt. of India (GOI) had vide Resolution No.616/2009-E&MDA dated 12.2.2009 added one more object as per which (1) additional cover of 5 per cent to be provided to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) exporters and also Non-MSME exporters of certain specified trades like Textiles, Jewelry, etc. underwritten by ECGC. (2) Additional cover of 10 per cent to banks who are covered under Export Credit Insurance for Banks (ECIB) underwritten by ECGC of India Ltd.
2. The NEIA trust has been registered as a Public trust with the Public Trusts Registration Office, Greater Mumbai Region, Mumbai on 8<sup>th</sup> May, 2006 with registration no: - E 23382 vide trust deed dated 21<sup>st</sup> March, 2006 and modified trust deed dated 29<sup>th</sup> March, 2006 entered into between The President of India, acting through the Joint Secretary, Dept. of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and the ECGC Limited. Further, scheme for benefit for short term export has been settled u/s 50A of the Bombay Public Trust Act, 1950 as per order of Assistant Commissioner of Charitable Trust in Scheme Appl. No 7/2010.
3. All the initial setting up costs including setting up of the trust office, computer hardware and software and other related infrastructure are provided and borne by ECGC Limited.



## B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. **Basis of Accounting:** The Financial statements are prepared on accrual basis on historical cost convention and comply in all material aspects with the accounting principles accepted in India.

2. **Use of estimates:**

The presentation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affects the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenue and expenses during the reported period. Differences between the actual result and estimates are recognized in the period in which the results are known / materialized.

3. **Revenue Recognition:**

Interest and other income is accounted on accrual Basis except for interest on Income tax refund.

4. **Guarantee Fee (Others) Accounting:**

Guarantee fees from Exim Bank of India and others received towards support provided is apportioned proportionately for the remaining period of cover.

5. **Guarantee Fees (ECGC) Accounting:**

Guarantee fees received during the year towards the support provided to ECGC Limited is apportioned proportionately for the remaining period of cover.

6. **Liability on account of claims:**

Liability towards outstanding claims at the end of the year is made in respect of the claims provided by ECGC Limited maximum to the extent of exposure.

7. **Provision for Taxation**

Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. However, refer note 4 and 5 of Part C.

8. **Administrative Charges**

The administrative & establishment costs of the trust and cost of administering its scheme is borne by ECGC Limited against which it is entitled for service charges at 5%





of the gross guarantee fees. The said charges paid to ECGC Limited are recognized over the period of the covers.

**C. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS:**

1. The Trust is not registered with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). The Trust has written to the IRDA for seeking clarifications regarding registration but no communication is received by the Trust in these regards.
2. The Trust has given Guarantee to ECGC Limited for a few covers on receipt of Guarantee Fee. This arrangement has been notified to IRDA. During the year, Trust has received Rs. 11,01,03,414 as Guarantee Fee from ECGC Limited out of which Rs.2,83,92,881/- is for the current year and remaining amount of Rs. 8,17,10,533 is allocated for future years till the validity period of guarantee cover. The total guarantee fee income for the current year is Rs. 5,13,07,887 which includes amount of Rs. 2,29,15,006 allocated for current year out of the advance guarantee fee received during the previous years. This amount has been shown separately in the Income & Expenditure account.
3. Under provisions of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trusts are required to make contribution to Public Trust Administration Fund @ 2% of the Income shown under Schedule IXC of the Act. Another Trust had challenged the said provision and the Hon'ble Supreme Court issued a Stay order in favor of the Trust. In so far as NEIA trust is concerned, as on March 31, 2020 it holds provision amounting to Rs. 48,08,72,888 payable to the Public Trust Administration Fund (including current year provision Rs. 7,99,08,880) and towards which no contribution is yet made pending final judgment on the said matter.
4. a) Income tax assessments of the Trust were completed up to assessment year 2009-2010 without any adjustment / additions to the income. Thereafter, effective from assessment year 2010-2011 to 2015-2016, the tax department has not granted exemption claimed by the Trust under Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act) on the ground that post-amendment of section 2(15) of the Act effective from assessment year 2009-2010, the definition of charitable purpose has changed and hence, the activity carried on by it is not for "advancement of any other object of general public utility". Denial of such exemption has resulted into aggregate tax



demands of Rs.410.87 Crores for the said period which are disputed in appeals before the Appellate Authorities including Income Tax Appellate Tribunal. During the pendency of the appeals for assessment years 2012-13 to 2014-15, the Trust has paid Rs. 138.72 Crores (including interest). The Trust under protest has also paid penalty u/s. 271(1)(c) of the Act of Rs.72 Crores in respect of assessment year 2010-2011 pending the appeal before the Income Tax Appellate Tribunal.

b) Without prejudice to the contention of the Trust, that it is eligible for benefit u/s. 11 of the Act as the same is engaged in the "advancement of the objects of general public utility", as a matter of abundant caution:

- (i) It has self-computed the tax plus interest thereon for assessment year 2012-13 to assessment year 2014-15 and paid the same;
- (ii) Effective from assessment year 2015-16 to assessment year 2018-19, the Trust has been paying the advance tax installments based on the computation of income for the relevant years.

c) The Trust has not provided for the aggregate tax liability of Rs. 410.87 crores (including Penalty) as referred to earlier in para 1 as the Trust has been advised that they are covered by the definition of "Charitable Purpose" u/s 2(15) and hence, eligible for the benefit u/s. 11 of the Act. In respect of AY 2010-11 and AY 2011-12 & 2012-13, ITAT has pronounced the orders on 18.01.2019 and 24.12.2019 respectively in favor of the NEIA Trust. Similarly, CIT (A) has also pronounced its order in favor of the NEIA Trust in respect of AY 2014-15 & 2015-16 vide order dated 01.03.2019. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.

5. In terms of provision of Section 11 of the Income Tax Act, 1961, the accumulation of Rs.131,72,67,935 (set apart in Financial Year 2013-14 for utilization within next 5 Years and taxable as deemed income in sixth year, if remain unutilized) is not considered as deemed income during Financial Year 2019-20, Keeping in view of the fact that total covers issued by the Trust (being the object of the Trust) was of Rs. 8,635.50 Crores as of 31-03-2015, Rs. 9,227.83 Crores as of 31-03-2016, Rs. 17,395.86 Crores as of 31-03-2017, Rs. 24,028.94 Crores as of 31-03-2018, Rs. 27,598.34 Crores as of 31-03-2019 and Rs. 29,555.28 Crores as of 31-03-2020 in the opinion of the Trustees, the income accumulated stands utilized and provision of Section 11(3) of the Act is not attracted.



6. Auditor's remuneration includes Audit Fees Rs 55,000 and tax audit fees Rs 15,000 (excluding GST).
7. During the current year, interest income of Rs. 289.31 Crore is booked on the accrual basis in Income and Expenditure Account, though as per 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis a Correction Enabling System) interest income of Rs. 289.71 Crore is reflected. This is due to the fact that each bank adopts different methodology for calculating the amount of Tax Deducted at Source (TDS).
8. The financial statements from FY 2015-16 to FY 2018-19 have been duly filed with the office of charity commissioner, Bombay Trust.
9. The management has asked for confirmation from its suppliers regarding their registration with competent authorities under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED). However, no party has confirmed its registration under the act. Accordingly, no further information is submitted in this regards. The auditors have relied on the said submission of the management.
10. The Contingent Liability as at March 31, 2020 amounts to 32,567.18 Crore which includes Guarantees given by the Trust to ECGC Limited for risk value cover of Rs. 16,867.50 Crore and Guarantees given to EXIM Bank of India for risk value cover of Rs. 12,768.50 Crore, and aggregate tax liability of Rs. 410.87 crores (including Penalty)

For NEIA TRUST

  
(Sunil Joshi)

  
(M. Senthilnathan)

  
(David Rasquinha)

Date: 25/09/2020  
Place: Mumbai





**L N MARU & Co**

*Chartered Accountants*

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382  
Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

**FORM NO. 10B**  
**(See Rule 17B)**

**Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case  
of charitable or religious trust or institutions**

1. We have examined the Balance Sheet of NEIA Trust as at 31<sup>st</sup> March, 2020 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said Trust or Institution.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by the Head Office of the above-named Trust visited by us so far as appears from our examination of the books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received.

2. In our opinion and to the best of our information, and according to information given to us, the said accounts give a true and fair view –
- In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named Trust as at 31-03-2020, and
  - In the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus or deficit of its accounting year ended 31<sup>st</sup> March, 2020.
3. The prescribed particulars are annexed hereto.
4. There is a difference of opinion between the Assessing Officer (AO) of the Trust and the Trust as to following:
- Whether the objects of the Trust are “Charitable Purpose” keeping in view the definition thereof in Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).
  - Whether the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in determining “Total Income”.

4.1 In the opinion of the AO:

- the objects of the Trust are not “Charitable Purpose” keeping in view the applicability of Proviso to Section 2(15) of the Act.



- (b) Hence, provisions of Section 11 of the Act have not to be applied in determining income of the Trust.
- (c) Further, in that event the amount received from Central Government of India accounted to the credit of Trust Fund is to be assessed as Income.

4.2 In terms of the said opinion, the assessment of income is made for previous year(s) ended up to 31<sup>st</sup> March, 2010, 31<sup>st</sup> March, 2011, 31<sup>st</sup> March 2012, 31<sup>st</sup> March, 2013 and 31<sup>st</sup> March, 2014. The opinion of AO is contested by the Trust before appellate authorities. In respect of AY 2010-11 and AY 2011-12 & 2012-13, ITAT has pronounced the orders on 18.01.2019 and 24.12.2019 respectively in favor of the NEIA Trust. Similarly, CIT (A) has also pronounced its order in favor of the NEIA Trust in respect of AY 2014-15 & 2015-16 vide order dated 01.03.2019. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.

4.3 Keeping in view the contention of the Trust that its objects are of "Charitable Purpose" as defined in Section 2(15) of the Act and accordingly the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in assessment of its income, we have issued Report in prescribed Form No.10B, at the request of the Trust.

For L N Maru & Co.  
Chartered Accountants  
Firm Regn. No.106069W



CA L N Maru  
Partner  
Membership No. 033246

Place: Mumbai

Date: 25-09-2020

UDIN: 20033246AAAAAF6855



अनुलग्नक

जानकारियों का विवरण

I. धर्मार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्य के लिए आय का उपयोग		
1	पिछले वर्ष की आय की राशि जो कि एक वर्ष के दौरान भारत में धर्मार्थ अथवा धार्मिक कार्य हेतु उपयोग की गई।	: कृपया अनुलग्नक "ए" का संदर्भ लें।
2	क्या ट्रस्ट / संस्थान नें धारा 11 (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अंतर्गत विकल्पों का प्रयोग किया गया है। यदि हाँ, तो पिछले वर्ष के दौरान भारत में धर्मार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्य हेतु उपयोग की गई राशि की जानकारी प्रदान करें।	: नही
3	धर्मार्थ अथवा धार्मिक कार्यों के उपयोग के लिए संचित की गई अथवा अलग रखी गई / अंतिम रूप से अलग राखी गई आय की राशि, ट्रस्ट के अंतर्गत केवल इस तरह के उद्देश्य के लिए पूर्ण / आंशिक रूप से आने वाले संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय का 25% से अधिक नहीं हो सकता है।	: कृपया अनुलग्नक "बी" का संदर्भ लें।
4	धारा 11 (सी) के अंतर्गत छूट के लिए पात्र आय की राशि (जानकारी दें)	: शून्य
5	उपरोक्त मद संख्या 3 में संदर्भित राशि, आय की राशि के साथ में, धारा 11 (2)के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य के लिए संचित की गई अथवा अलग रखी गई आय की राशि।	: कृपया अनुलग्नक "सी" का संदर्भ लें। शून्य नोट: अनुलग्नक बी की नोट संख्या 3 का संदर्भ लें।
6	क्या मद संख्या 5 में दर्शाई गई आय की राशि को धारा 11 (2)(बी) में दर्शाई गई पद्धति से निवेश अथवा जमा किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें।	: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित खातों का संदर्भ लें।  राशि को शेड्यूलड बैंक में सावधि जमा में निवेश किया गया है।
7	क्या खंड 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अंतर्गत विकल्प के उपयोग के संदर्भ में पूर्व के वर्षों में आय का कोई भाग धारा 11 (1बी) के अंतर्गत पिछले वर्ष की आय में गिना गया है? यदि हाँ तो जानकारी दें।	: शून्य
8	क्या पिछले वर्ष के दौरान धारा 11 (2) के अंतर्गत विशिष्ट पूर्व के वर्षों में विशिष्ट उद्देश्य के लिए संचित की गई अथवा अलग रखी गई आय का कोई भाग -	
(a)	का उपयोग धर्मार्थ अथवा धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए किया गया अथवा अथवा उपयोग के लिए संचित करना	



	अथवा अलग रखने से रोक दी गई है अथवा	
(b)	समाप्त कर दिया गया है अथवा धारा 11 (2)(बी)(i) में संदर्भित किसी प्रतिभूति सुरक्षा में निवेश किए गए हैं अथवा धारा 11 (2)(बी)(ii) अथवा धारा 11 (2)(बी)(iii) में संदर्भित किसी खाते में जमा किए गए हैं अथवा	कृपया अनुलग्नक "डी" का संदर्भ लें।
(c)	वर्ष के दौरान वर्ष खत्म होने के तुरन्त बाद जिस कार्य हेतु संचित किया गया अथवा अलग रखा गया था उसका उपयोग उस कार्य हेतु नहीं हुआ। यदि हाँ तो जानकारी प्रस्तुत करें।	
<b>II. धारा 13 (3) में संदर्भित व्यक्ति के लाभ के लिए आय अथवा संपत्ति का प्रयोग अथवा उपयोग</b>		
1	क्या धारा 13 (3) के अंतर्गत पिछले वर्षों में किसी व्यक्ति को ट्रस्ट/ संस्थान की संपत्ति अथवा आय का कोई भी हिस्सा कभी उधार दिया गया था अथवा अभी उधार दिया गया है (इसके बाद इस अनुलग्नक में ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया है)? यदि हाँ, तो उस राशि, ब्याज की दर व जमानत की प्रकृति की जानकारी दें, यदि कोई हो तो।	: नहीं
2	क्या ट्रस्ट/ संस्थान की कोई जमीन, बिल्डिंग अथवा अन्य संपत्ति बनाई गई है अथवा बनाना जारी है जो कि पिछले वर्ष के दौरान उक्त व्यक्ति के प्रयोग हेतु उपलब्ध थी? यदि हाँ तो संपत्ति की जानकारी एवं किराया राशि अथवा मुआवजे की राशि की जानकारी दें, यदि कोई हो तो।	: नहीं
3	ऐसे किसी भी व्यक्ति को पिछले वर्ष के दौरान वेतन, भत्ता अथवा अन्य किसी रूप में कोई भुगतान किया गया था? यदि हाँ तो जानकारी दें।	: नहीं
4	क्या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए पिछले वर्ष के दौरान ट्रस्ट/ संस्थान द्वारा सेवा उपलब्ध कारवाई गई थी। यदि हाँ, प्राप्त पारिश्रमिक अथवा मुआवजे के साथ अन्य सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाएँ, यदि कोई है तो।	: नहीं
5	क्या पिछले वर्ष के दौरान उक्त व्यक्ति से ट्रस्ट / संस्थान के पक्ष में कोई शेयर, प्रतिभूति अथवा अन्य कोई संपत्ति खरीदी गई थी? यदि हाँ तो भुगतान किए गए प्रतिफल के साथ अन्य सभी जानकारियाँ प्रदान करें।	: नहीं
6	क्या पिछले वर्ष के दौरान उक्त व्यक्ति को ट्रस्ट / संस्थान की ओर से कोई शेयर, प्रतिभूति अथवा	: नहीं



	अन्य कोई संपत्ति बेची गई थी? यदि हाँ तो प्राप्त किए गए प्रतिफल के साथ अन्य सभी जानकारियाँ प्रदान करें।				
7	क्या पिछले वर्ष के दौरान ट्रस्ट / संस्थान की कोई आय अथवा संपत्ति उक्त व्यक्ति के नाम की गई है? यदि हाँ तो उक्त व्यक्ति के नाम की गई आय अथवा संपत्ति के मूल्य के साथ अन्य सभी जानकारियाँ प्रदान करें।	:	नहीं		
8	क्या पिछले वर्ष के दौरान ट्रस्ट/ संस्थान की आय अथवा संपत्ति किसी भी तरीके से उक्त व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग में लायी गई? यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें।	:	नहीं		
III. धारा 13 (3) में संदर्भित उक्त व्यक्ति के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किया गया कोई निवेश जिसमें उस व्यक्ति का पर्याप्त हित है।					
क्रम संख्या	संबन्धित का नाम एवं पता	किसी कंपनी के संदर्भ में शेयर की संख्या एवं दर्जा	निवेश का नाममात्र मूल्य	निवेश से आय	क्या पिछले वर्ष के दौरान कॉलम संख्या 4 में पूंजी में 5% से बढ़ी है- हाँ/ नहीं बताएँ
1	2	3	4	5	6
- - लागू नहीं - - -					

कृते एल एन मारु एवं कंपनी  
सनदी लेखापाल  
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या No106069W

हस्ताक्षरित

सीए एल एन मारु  
भागीदार

स्थान: मुंबई  
दिनांक:





**ANNEXURE**

**Statement of particulars**

<b>I. APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES</b>		
1	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during the year	: Refer Annexure "A"
2	Whether the Trust / Institution has exercised the option under clause (2) of the Explanation to Section 11(1)? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year.	: No
3	Amount of income accumulated or set apart / finally set apart for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 25 per cent of the income derived from property held under Trust wholly / in part only for such purposes	: Refer Annexure "B"
4	Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)	: NIL
5	Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2)	: Refer Annexure "C" Nil <b>Note:</b> Refer Note No.3 of Annexure B.
6	Whether the amount of income mentioned in tem 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b)? If so, the details thereof	: Refer audited accounts for the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2020.  Amount is invested in Fixed Deposit with Scheduled Banks



7	Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) Of Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B)? If so, the details thereof.	: NIL
8	Whether, during the previous year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-	
	<p>(a) Has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or</p> <p>(b) Has ceased or remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account referred to in section 11(2)(b)(ii) or section 11(2)(b)(iii), or</p> <p>(c) Has not been utilized for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof.</p>	Refer Annexure "D"



II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3)	
1	Whether any part of the income or property of the Trust / Institution was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person)? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any.
2	Whether any land, building or other property of the Trust / Institution was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any.
3	Whether any payment was made to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, give details.
4	Whether the services of the Trust / Institution were made available to any such person during the previous year? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any.
5	Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the Trust / Institution during the previous year from any such person? If so, give details thereof together with the consideration paid.



6	Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the Trust / Institution during the previous year to any such person? If so, give details thereof together with the consideration received.	:	No
7	Whether any income or property of the Trust / Institution was diverted during the previous year in favour of any such person? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted.	:	No
8	Whether the income or property of the Trust / Institution was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner? If so, give details.	:	No

**III. INVESTMENTS HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN CONCERNS IN WHICH PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST**

Sr. No.	Name and address of the concern	Where the concern is a company, number and class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in Col.4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year - say Yes / No.
1	2	3	4	5	6
- - - NOT APPLICABLE - - -					

For L N Maru & Co.  
Chartered Accountants  
Firm Regn. No 106069W



*[Signature]*  
CA L N Maru  
Partner

Place: Mumbai  
Date: 25-09-2020



अनुबंध "क"

एन ई आई ए ट्रस्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त लेखा वर्ष

मूल्यांकन वर्ष : 2020-21

1 वर्ष के दौरान भारत में चैरिटेबल कार्य अथवा धार्मिक उद्देश्य से लागू पिछले वर्ष की आय की राशि			
विवरण	राशि रु में	राशि रु में	राशि रु में
घारा 10, 11 व 12 के संदर्भ में औसत आय			4,02,43,75,101
लागू सकल आय :			
(क) निम्न 'क' को देखें		3,52,67,82,724	
(ख) वर्ष के दौरान हुआ व्यय ( निम्न का संदर्भ लें )		49,75,81,003	
वर्ष के दौरान प्रयोज्य		4,02,43,63,727	
	चालू वर्ष आय तक सीमित .....		4,02,43,63,727
2 वर्ष के दौरान लागू आय का निर्धारण , 31 मार्च 2019 तक के शेषों की तुलना में 31 मार्च 2020 तक के सकल शेषों में हुई वृद्धि की गणना के आधार पर किया जाता है। I			
विवरण		राशि रु में	राशि रु में
<b>31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए</b>			
बैंकों में मियादी जमा		39,94,56,38,390	
आय कर की अदायगी		8,41,66,37,732	
पूर्व प्रदत्त व्यय		18,20,95,718	
शेष आधारभूत निधि		(30,91,00,00,000)	17,63,43,71,840
<b>31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए</b>			
बैंकों में मियादी जमा		34,69,96,00,000	
आय कर की अदायगी		7,14,69,18,758	
पूर्व प्रदत्त व्यय		17,10,70,359	
शेष आधारभूत निधि		(27,91,00,00,000)	14,10,75,89,116
<b>क</b>	<b>31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय का उपयोग</b>		<b>3,52,67,82,724</b>
2.1	यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर निर्धारिता द्वारा 3,52,67,82,724/- रु की सकल वृद्धि को आय का उपयोग माना गया है।		
2.2	कानून की वृद्धि में निम्नानुसार स्थिर प्रस्ताव हैं :-		
	(क) " उपयोग " का अर्थ आवश्यक नहीं है कि " व्यय " हो		
	(ख) प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य के आधार पर " उपयोग " शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए		
3	(ख) वर्ष के दौरान हुआ व्यय		3,50,06,27,716
	घटाएँ : प्रारक्षित निधियों अथवा विशेष निधियों में अंतरित राशि को छोड़ कर		(2,92,31,37,833)
	घटाएँ : सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासनिक निधि को किया गया अंशदान		(7,99,08,880)
<b>ख</b>	<b>31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष के दौरान किया गया व्यय</b>		<b>49,75,81,003</b>
4	कर निर्धारिता के अनुसार चालू वर्ष के आय के उपयोग के लिए 2,92,31,37,833/- रु की राशि विशेष निधियों में अंतरित की गयी।		

कृते एन ई आई ए चैरिटेबल ट्रस्ट

हस्ताक्षरित

(सुनील जोशी )  
ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

(एम संधिलनाथन )  
ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

( डेविड रस्कीना )  
ट्रस्टी




ANNEXURE "A"				
NEIA TRUST				
ACCOUNTING YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020				
ASSESSMENT YEAR : 2020-21				
1	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during the year :-			
	Particulars	Amount in Rs	Amount in Rs	Amount in Rs
	Aggregate income referred to in sections 10, 11 & 12			4,02,43,75,101
	Aggregate of Amount Applied:			
	(a) Refer A below		3,52,67,82,724	
	(b) Expenditure incurred during the year (Refer below)		49,75,81,003	
	Application During the year		4,02,43,63,727	
	Restricted too the income of the current year.....			4,02,43,63,727
2	In quantifying the income applied during the year, increase in aggregate balances of the following as of 31st March, 2020 as compared to such balances held as on 31st March, 2019 is considered :-			
	Particulars		Amount in Rs	Amount in Rs
	<b>For the year ended 31.03.2020</b>			
	Fixed Deposits with Banks		39,94,56,38,390	
	Income Tax Payments		8,41,66,37,732	
	Prepaid expenses		18,20,95,718	
	Balance of Corpus Fund		(30,91,00,00,000)	17,63,43,71,840
	<b>For the year ended 31.03.2019</b>			
	Fixed Deposits with Banks		34,69,96,00,000	
	Income Tax Payments		7,14,69,18,758	
	Prepaid expenses		17,10,70,359	
	Balance of Corpus Fund		(27,91,00,00,000)	14,10,75,89,116
	<b>A Application of Income for the year ended 31.03.2020</b>			3,52,67,82,724
2.1	It is submitted that such increase aggregating to Rs. 3,52,67,82,724/- is considered as application of income by the assessee.			
2.2	Following are the well settled proposition in law:			
	(a) The word "applied" did not necessarily mean "spent".			
	(b) The word "application" has to be given wider interpretation, keeping in view the purpose for which the provision has been introduced.			
3	(b) Expenditure incurred during the year		3,50,06,27,716	
	Less:- Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds		(2,92,31,37,833)	
	Less:- Contribution to Public Trust Admin. Fund		(7,99,08,880)	49,75,81,003
	<b>B Expenditure incurred during the year for the year ended 31.03.2020</b>			49,75,81,003
4	As per the assessee the amount of Rs. 2,92,31,37,833/- is transferred to Specific Funds towards application of current years income.			

FOR NEIA TRUST



(Sunil Joshi)  
Managing Trustee



(M. Senthilnathan)  
Trustee



(David Rasquinha)  
Trustee



**अनुबंध :ख"**  
**एन ई आई ए ट्रस्ट**  
**31 मार्च 2020 को समाप्त लेखा वर्ष**  
**मूल्यांकन वर्ष : 2020-21**

**कुल आय की गणना का विवरण**

विवरण	राशि रु में	नोट संदर्भ सं	राशि रु में	राशि रु में
आय एवं व्यय खाते के अनुसार सकल आय				4,02,43,75,101
घटाएँ : ट्रस्ट के उद्देश्यों पर व्यय				
वर्ष के दौरान किया गया व्यय			57,74,89,883	
आरक्षित निधियों अथवा विशेष निधियों में अंतरित राशि		2	2,92,31,37,833	
घटाएँ : सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासनिक निधि		3	(7,99,08,880)	(3,42,07,18,836)
				60,36,56,265
घटाएँ : धारा 11(1)(क) के अधीन जमा करने योग्य:				
सकल आय यथा 4,02,43,75,101/- रु के 15%		4		(60,36,56,265)
कुल आय				कुछ नहीं
देय कर की गणना				राशि
आय कर				कुछ नहीं
घटाएँ : स्रोत पर कर कटौती			28,97,18,975	
घटाएँ : अग्रिम कर			98,00,00,000	1,26,97,18,975
देय लौटाने योग्य राशि				1,26,97,18,975

**नोट :**

**1 आय कर अधिनियम 1961 ( अधिनियम ) की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार लागू :**

- 1.1 कर निर्धारिता का निपटान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
- 1.2 ए ओ एवं कर निर्धारिता के मध्य इस विषय पर मत भेद है कि क्या लागू शर्तों के अनुसार कर निर्धारिता का उद्देश्य चैरिटेबल उद्देश्य हैं एवं क्या यह अधिनियम की धारा 2 (15) के प्रावधानों के अनुसार लागू शर्तों में निर्धारित अर्थ के भीतर है।
- 1.3 ए ओ के मतानुसार कर निर्धारिता का उद्देश्य चैरिटेबल उद्देश्य नहीं हैं जैसा कि इस पर उपधारा के प्रावधान लागू होते हैं। ए ओ द्वारा व्यक्त मतानुसार कर निर्धारिता के उद्देश्य सामान्य जनता के उपयोग की किसी अन्य श्रेणी में आते हैं।
- 1.4 अतः इस कारण से ए ओ द्वारा पूर्व के वर्षों में आय का मूल्यांकन करते समय अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया।
- 1.5 कर निर्धारिता द्वारा उच्च प्राधिकारियों के समक्ष ए ओ की इस कार्यवाही का विरोध किया जा रहा है।
- 1.6 मूल्यांकन वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 व 2012-13 के संबंध में आई टी ए टी द्वारा क्रमशः दिनांक 18.01.2019 एवं 24.12.2019 को एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश जारी किए गए थे। इसी प्रकार सी आई टी (ए) द्वारा भी मूल्यांकन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के संबंध में 01.03.2019 के आदेश के जरिये एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश जारी किए। आई टी ए आई द्वारा अपने आदेश में जारी किया कि ट्रस्ट का उद्देश्य चैरिटेबल ट्रस्ट से है।
- 1.7 कर निर्धारिता का वास्तविक विश्वास के आधार पर इसके ऊपर उल्लिखित कुल आय , अधिनियम की धारा 2(15) के अधीन परिभाषित अनुसार चैरिटेबल उद्देश्य के अधीन आती है, अतः वर्ष के लिए आय की गणना करते समय अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को इस पर लागू किया जाना चाहिए।

- 2 कर निर्धारिता के अनुसार 2,92,31,37,833/- रु की राशि को चालू वर्ष की आय का उपयोग करते हुए विशेष निधियों में अंतरित किया गया।

**3 7,99,08,880/- रु की सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासनिक निधि के लिए अंशदान**

बॉम्बे पुब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 की धारा 58 के प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट के लिए आवश्यक है कि वह अधिनियम की अनुसूची IX के अधीन दर्शाये गए आय के 2% का अंशदान सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासनिक निधि में करेगा। अन्य ट्रस्ट द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस प्रावधान को चुनौती दी गयी एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रस्ट के पक्ष में इस प्रकार के अंशदान की अदायगी पर रोक के आदेश जारी किए गए। अंतिम निर्णय लंबित है। रोक लगाए जाने के कारण संबन्धित प्राधिकारी द्वारा अदायगी को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अतः कथित अंशदान अदत्त रहा। वर्ष के लिए कुल आय के निधिरण के लिए कारण विशेष के फलस्वरूप भुगतान न होने के कारण कटौती योग्य नहीं माना गया। यह कर निर्धारिता के इस विवाद कि इस प्रकार का प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है, के पूर्वाग्रह के बिना, को ट्रस्ट के उद्देश्यों पर किए जाने वाले व्यय में शामिल किया जाना चाहिए अतः वर्ष के दौरान कुल आय के निर्धारण की गणना हेतु इसकी कटौती अनिवार्य है।

**4 सकल प्राप्तियों पर धारा 11(1)क के अधीन परिमाणन**

निम्नलिखित न्यायिक घोषनाओं का आधार लिया गया है।

- (a) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [248 ITR 1] (SC) 28.11.2000
- (b) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [228 ITR 620] (Kerala HC) 25.10.1996

**कृते एन ई आई ए चैरिटेबल ट्रस्ट**

**हस्ताक्षरित**

(सुनील जोशी )  
ट्रस्टी

**हस्ताक्षरित**

(एम सैथिलनाथन )  
ट्रस्टी

**हस्ताक्षरित**

( डेविड रस्कीना )  
ट्रस्टी



**ANNEXURE - "B"**  
**NEIA TRUST**  
**ACCOUNTING YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020.**  
**ASSESSMENT YEAR : 2020-21**

**STATEMENT OF COMPUTATION OF TOTAL INCOME**

Particulars	Amount in Rs	Note Ref No	Amount in Rs	Amount in Rs
Gross Income as per Income & Expenditure Account				4,02,43,75,101
Less : Expenditure Incurred on the objects of the Trust				
Incurred during the year			57,74,89,883	
Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds		2	2,92,31,37,833	
Less :Contribution to Public Trust Admin. Fund		3	(7,99,08,880)	(3,42,07,18,836)
				60,36,56,265
Less : Allowed to be accumulated under section 11(1)(a) of : 15% of Gross Income i.e. of Rs. 4,02,43,75,101/-		4		(60,36,56,265)
Total Income				NIL
<b>COMPUTATION OF TAX PAYABLE</b>				<b>Amount</b>
Income Tax				Nil
Less : Tax Deducted at Source			28,97,18,975	
Less : Advance Tax			98,00,00,000	1,26,97,18,975
Refund Due				1,26,97,18,975

**Notes:**

**1 Re: Application of provisions of Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act):**

- 1.1 The assessee is settled by the Government of India.
- 1.2 There is a difference of opinion by and between the AO and the assessee as to whether the objects of the assessee are charitable purposes within the meaning assigned to it in terms of the applicable provisions of Section 2(15) of the Act.
- 1.3 In the opinion of the AO, the objects of the assessee are not charitable purposes as the proviso to the said sub-section is applicable, Keeping in view the opinion formed by the AO that the objects of the assessee are falling in the category of advancement of any other object of general public utility.
- 1.4 Hence, the AO has not applied the provisions of Section 11 of the Act in assessing the income of the assessee for earlier years.
- 1.5 The assessee is contesting the said action of the AO before the appellate authorities.
- 1.6 In respect of AY 2010-11 and AY 2011-12 & 2012-13, ITAT has pronounced the orders on 18.01.2019 and 24.12.2019 respectively in favour of the NEIA Trust. Similarly, CIT (A) has also pronounced its order in favor of the NEIA Trust in respect of AY 2014-15 & 2015-16 vide order dated 01.03.2019. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.
- 1.7 The total income quantified hereinabove is based on the bonafide belief of the assessee that its objects are charitable purposes as defined under Section 2(15) of the Act and hence, Section 11 of the Act has to be applied in assessing the income for the year.

2 As per the assessee the amount of Rs. 2,92,31,37,833/- is transferred to Specific Funds towards application of current years income.

**3 Re: Contribution to Public Trust Admin. Fund of Rs.7.99.08.880/-**

Under provision of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trust is required to make contribution to the Public Trust Administration Fund @ 2% of the income shown under schedule IXC of the said Act. Another Trust has challenged the said provision and Supreme Court has issued a stay order for payment of such contribution in favour of the trust. Final judgment is pending. Due to stay granted, the concerned authority is not accepting payment. Hence, said contribution has remained unpaid. In determining total income for the year, the said contribution is considered as not deductible for want of payment as a matter of abundant cause. This is Without Prejudice to the contention of the assessee, that such provision being statutory provision has to be considered as expense incurred on objects of trust and Hence, be deducted in determining total income for the year.


**4 Re: Basis of quantification u/s 11(1)(a) on Gross Receipts**

Reliance is placed on following judicial pronouncements:

- (a) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [248 ITR 1] (SC) 28.11.2000
- (b) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [228 ITR 620] (Kerala HC) 25.10.1996

FOR NEIA TRUST

  
(Sunil Joshi)  
Managing Trustee

  
(M. Senthilnathan)  
Trustee

  
(David Rasquinha)  
Trustee





अनुलग्नक "सी"  
फार्म नंबर 10  
[नियम 17 देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 (2) के तहत मूल्यांकन अधिकारी / निर्धारित प्राधिकारी को नोटिस

प्रति,

सहायक आयकर निदेशक (छूट) II (2), मुंबई

1. मैं सुनील जोशी, प्रबंध ट्रस्टी, एनईआईए ट्रस्ट की ओर से आपके संज्ञान में लाता हूँ कि, ट्रस्टियों द्वारा पारित एक प्रस्ताव में यह निश्चित किया गया है कि (प्रति संलग्न) पिछले वर्ष के लिए ट्रस्ट की आय में से, मूल्यांकन वर 2020-21 से संबन्धित, ट्रस्ट की आय की एक राशि रु. 292,31,37,833/-, जो कि पिछले वर्ष उपलब्ध थी, को ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि को जमा करने हेतु ट्रस्टी को सक्षम करने के लिए पिछले वर्ष 31 मार्च 2025 तक अलग रखी या जमा की जानी चाहिए:-
  - अ) राष्ट्रीय हित में मध्यम और दीर्घकालिक निर्यातकों के लाभ के लिए एनईआईए योजना को लागू करना।
  - आ) मध्यम और दीर्घकालिक निर्यातकों के लाभ के लिए भारत सरकार समय-समय पर इस तरह की अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए ढांचा तैयार कर सकती है और ट्रस्ट को उसे लागू करने का निर्देश दे सकती है।
  - इ) लघु अवधि निर्यातकों के लाभ के लिए भारत सरकार समय-समय पर ऐसी अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए ढांचा तैयार कर सकती है और ट्रस्ट को लागू करने का निर्देश दे सकती है।
2. 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत से प्रारम्भ होने वाले छः महीनों की समाप्ति से पूर्व वह राशि जो संचित अथवा अलग रखी गई थी उसे धारा 11 के उपभाग (5) में निर्दिष्ट रूप अथवा साधन में एक या एक से अधिक में निवेश या जमा किया गया है।
3. ट्रस्ट के वार्षिक लेखों की प्रति निवेश (जमा सहित) व धन के उपयोग सहित, यदि कोई है तो, जो कि संचित की गई है अथवा अलग रखी गई है, से संबन्धित जानकारी पिछले वर्ष के अंत के अगले छः माह की समाप्ति से पूर्व आपको दे दी जाएगी।
4. हमारे द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 11 (2) में निर्धारित शर्तों के किए जा रहे पालन को देखते हुए यह निवेदन है कि उक्त में वर्णित संचित अथवा अलग रखी गई आय के संदर्भ में ट्रस्ट की आय में छूट देते हुए मूल्यांकन में अनुभाग का लाभ दिया जा सकता है।
5. इस नोटिस को नोट संख्या 1 और 4 के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, जो कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय के विवरण का एक हिस्सा है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

दिनांक

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

सुनील जोशी  
(प्रबंधकीय ट्रस्टी)

पता: C/o. ईसीजीसी लिमिटेड, एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन  
पॉइंट, मुंबई - 400 021.



**ANNEXURE "C"**

**FORM NO.10**

[See rule 17]

**Notice to the Assessing Officer/Prescribed Authority under section 11(2) of the  
Income-tax Act 1961**

To  
Assistant Director of Income Tax (Exemption) II (2), Mumbai.

1. I, **Sunil Joshi, Managing Trustee**, on behalf of **NEIA Trust** hereby bring to your notice that it has been decided by a resolution passed by the trustees, on (copy enclosed) that, out of the income of the trust for the previous year, relevant to the assessment year 2020-21, an amount of Rs. 292,31,37,833/- of the income of the trust, available at the end of the previous year(s) should be accumulated or set apart till the previous year(s) ending 31<sup>st</sup> March, 2025 in order to enable the trustees, to accumulate sufficient funds for carrying out the following purposes of the trust: -
  - (a) To implement the NEIA Scheme for the benefit of Medium and Long Term Exporters in National Interest.
  - (b) To implement such other schemes for the benefit of Medium and Long Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
  - (c) To implement such other schemes for the benefit of Short Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
2. Before expiry of six months commencing from the end of previous year ended 31<sup>st</sup> March, 2020, the amount so accumulated or set apart has been invested or deposited in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11.
3. Copies of the annual accounts of the trust along with details of investment (including deposits) and utilization, if any, of the money so accumulated or set apart will be furnished to you before the expiry of six months commencing from the end of each relevant previous year.
4. It is requested that in view of our complying with the conditions laid down in section 11(2) of the income-tax Act, 1961, the benefit of that section may be given in the assessment of the trust exempting the income in respect of the trust in respect of the incomes accumulated or set apart as mentioned above.
5. This Notice is to be read in conjunction with Note Nos. 1 and 4 forming part of Statement of Income for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2020, a copy whereof is annexed hereto.

Date: 25/09/2020



Signature

**Sunil Joshi**  
(Managing Trustee)

Address: C/o. ECGC Limited, Express Towers, 10<sup>th</sup>  
floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021.



अनुबंध - "घ"

1. ट्रस्ट और ट्रस्ट के मूल्यांकन अधिकारी (एओ) के बीच निम्नलिखित मुद्दों पर मतभेद है:
  - (क) क्या ट्रस्ट के उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(15) में उल्लिखित परिभाषा को ध्यान में रखते हुए "चैरिटेबल उद्देश्य" हैं।
  - (ख) क्या अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को "कुल आय" निर्धारित करने में लागू करना होगा।
2. मूल्यांकन अधिकारी की राय में:
  - (क) अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के उद्देश्य "चैरिटेबल उद्देश्य" नहीं हैं।
  - (ख) अतः, अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान ट्रस्ट की आय के निर्धारण में लागू नहीं होते हैं।
3. उक्त राय के अनुसार, 31 मार्च, 2010 से 31 मार्च 2014 तक समाप्त पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए आय का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन अधिकारी की राय पर ट्रस्ट द्वारा अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज किया गया। मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 12-07-2018, और मूल्यांकन वर्ष 2011-12, 2012-13 के संबंध में दिनांक 24/12/2019 को आई टी ए टी बेंच के द्वारा ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया गया। सी आई टी (ए) ने भी मूल्यांकन वर्ष 2014-15, 2015-16 के संबंध में दिनांक 01/03/2019 को ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया। आई टी ए टी के मत में एन ई आई ए ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
4. निर्देशानुसार, ट्रस्ट द्वारा निम्नलिखित तथ्यों के होते हुए भी, आय के संचय के लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया जा रहा है :-
  - (क) ट्रस्ट निधि के राजस्व मद में निम्नलिखित शामिल हैं :
    - (i) भारत के केंद्र सरकार से प्राप्त राशि जो की वापसी योग्य जो कि कोष/सहायता में योगदान के रूप में (जैसा भी लागू हो)
    - (ii) वित्त वर्ष के दौरान आय का व्यय से अधिक होने से अधिशेष
  - (ख) बैंकों के पास निवेश की गयी सावधि जमा के रूप में ट्रस्ट निधि / राजस्व आय की अव्ययित शेष।



5. ट्रस्ट की राय में, उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2019 तक समाप्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वर्षों) की ट्रस्ट की अव्ययित आय को अनुलग्नक क -कुल आय का संगत अभिन्न भाग है में की गई गणना के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान लागू के रूप में माना जाना चाहिए।
6. ट्रस्ट द्वारा, इस तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि वित्तीय वर्ष की आय के की गणना के निर्धारण में, निम्नलिखित शेष राशि को भी शामिल किया जाना होगा, अधिनियम की धारा 11(2) के विकल्प का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जा रहा है:
- (क) बैंकों के पास निवेशित सावधि जमा  
(ख) पूर्व प्रदत्त व्यय  
(ग) प्रदत्त कर
7. आगे , ट्रस्ट की राय में यदि अंततः आय के निर्धारण के संबंध में ऊपर विवरित अनुसार ट्रस्ट के तर्क कि अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन आय के निर्धारण हेतु विकल्प का उपयोग किया गया है , को स्वीकार नहीं किया जाता तब प्रदत्त बीमा रक्षा के अनुकरण में ट्रस्ट पर बनने वाले संभावी दावों की राशि को दर्शाते हुए बीमा रक्षा के संबंध में बकाया जोखिम पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के जोखिमों की राशि उस अधिशेषित आय की राशि से काफी अधिक है जिस पर दिनांक 31 मार्च 2007/ दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष ( वर्षों ) के लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया गया ।



**ANNEXURE - "D"**

1. There is a difference of opinion between the Assessing Officer (AO) of the Trust and the Trust as to following:
  - (a) Whether the objects of the Trust are "Charitable Purpose" keeping in view the definition thereof in Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).
  - (b) Whether the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in determining "Total Income".
2. In the opinion of the AO:
  - (a) the objects of the Trust are not "Charitable Purpose" keeping in view the applicability of Proviso to Section 2(15) of the Act.
  - (b) Hence, provisions of Section 11 of the Act have not to be applied in determining income of the Trust.
3. In terms of the said opinion, the assessment of income is made for previous year(s) ended 31<sup>st</sup> March, 2010 to 31<sup>st</sup> March; 2014. The opinion of AO is contested by the Trust before appellate authorities. In respect of AY 2010-11 and AY 2011-12 & 2012-13, ITAT has pronounced the orders on 18.01.2019 and 24.12.2019 respectively in favour of the NEIA Trust. Similarly, CIT (A) has also pronounced its order in favor of the NEIA Trust in respect of AY 2014-15 & 2015-16 vide order dated 01.03.2019. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.
4. As advised, the Trust is exercising the option U/s. 11(2) of the Act for accumulation of income, notwithstanding the following facts:
  - (a) The revenue stream of the Trust Fund is represented by –
    - (i) Guarantee fee charged on insurance coverage issued in furtherance of the objects of the Trust;
    - (ii) Interest income earned on Fixed Deposit maintained with Scheduled Bank representing unspent balances of the Trust Fund and revenue income.
  - (b) The unspent balance lying to the Trust Fund / Revenue Income remains invested in Fixed Deposits with Banks.
5. In the opinion of the Trust, keeping in view the aforesaid facts, the unspent income of the Trust of each of the financial year(s) ended up to 31<sup>st</sup> March, 2020 has to be considered as applied during the relevant previous year as worked out in Annexure - A forming part of Statement of Total Income.



6. The Trust is exercising the option U/s.11(2) of the Act as an abundant caution which is without prejudice to its contention that in determining the application of income of the financial year, following balances have to be considered:
- (a) Fixed Deposit placed with Banks;
  - (b) Pre-paid expenses;
  - (c) Taxes paid.
7. Further, in the opinion of the Trust, even if the contention of the Trust as explained in relation to application of income is not accepted finally, then, for the purpose of determining whether the Trust has applied the income in respect of which the option is exercised U/s.11(2) of the Act, the outstanding exposure in relation to the insurance coverage has to be considered representing the amount of claims which can devolve upon the Trust pursuant to the insurance coverage provided. The amount of such exposure far exceeds the surplus income in respect of which the option is exercised U/s.11(2) of the Act for the year(s) ended 31<sup>st</sup> March, 2007/ 31<sup>st</sup> March, 2020.



दिनांक : 25.09.2020

निदेशक

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकर  
आर टी आई बिल्डिंग , 6 वीं मंज़िल  
एशियन हार्ट अस्पताल के पीछे  
बी के सी बांद्रा पूर्व, मुंबई

### प्रमाण पत्र

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने , एन ई आई ए ट्रस्ट , C/O ईसीजीसी लिमिटेड, एक्सप्रेस टावर, 10 वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 के पंजीकृत पते वाले एन ई आई ए ट्रस्ट के मियादी जमा की रसीदों की भौतिक जांच कर ली है। दिनांक 31 मार्च 2020 तक कुल **3,994.56** करोड़ रु के मियादी जमा रसीद रहे। मियादी जमा राशियों का विवरण निम्नानुसार है:

31 मार्च 2020 तक प्रभावी जमा के विवरण					
क्र सं	जमा की तारीख	बैंक का नाम	उपकरण सं .	राशि (करोड़ रु में )	परिपक्वता की तारीख
1	03-05-2019	पंजाब नेशनल बैंक	127400LR00000057	96.35	03-05-2020
2	20-05-2019	इंडियन बैंक	6757762920	9.40	20-05-2020
3	21-05-2019	कॉर्पोरेशन बैंक	530401037085848	146.60	21-05-2020
4	24-05-2019	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10453091004186	386.05	24-05-2020
5	24-05-2019	कॉर्पोरेशन बैंक	530401037136809	121.22	24-05-2020
6	01-06-2019	पंजाब नेशनल बैंक	127400LR00000066	20.40	01-06-2020
7	06-06-2019	केनरा बैंक	0172401004805/1	413.22	06-06-2020
8	13-06-2019	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	001404000006022	202.87	12-06-2020
9	17-06-2019	एच डी एफ सी बैंक	PD/1585517	86.40	17-06-2020
10	18-06-2019	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	378903030092301	200.10	18-06-2020
11	18-06-2019	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	001404000006037	102.80	18-06-2020
12	20-06-2019	एच डी एफ सी बैंक	5030034343649724	64.70	20-06-2020
13	28-06-2019	कॉर्पोरेशन बैंक	530401037678330	213.73	29-06-2020
14	28-06-2019	दी साउथ इंडियन बैंक लि	0194101000005877	89.96	29-06-2020
15	09-07-2019	एच डी एफ सी बैंक	50300349123406	70.40	09-07-2020



16	31-03-2020	पंजाब नैशनल बैंक		67.31	30-06-2020
17	16-07-2019	पंजाब नैशनल बैंक	127400GR00000236	6.73	16-07-2020
18	22-07-2019	इंडसइंड बैंक	300732151729	299.00	22-07-2020
19	23-07-2019	इंडसइंड बैंक	300732151781	99.28	23-07-2020
20	23-07-2019	एच डी एफ सी लिमिटेड	PD/1609082	127.65	23-07-2020
21	07-08-2019	एच डी एफ सी बैंक	50300356951482	324.72	07-08-2020
22	14-08-2019	दी साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	0194101000005910	7.50	14-08-2020
23	23-08-2019	आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड	000413258404	39.47	23-08-2020
24	03-09-2019	पंजाब नैशनल बैंक	127400GR00000245	8.72	03-09-2020
25	16-09-2019	आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड	000413261200	186.42	16-09-2020
26	25-09-2019	पंजाब नैशनल बैंक	127400GR00000254	10.00	25-09-2020
27	30-09-2019	एच डी एफ सी लिमिटेड	BM/20052597	185.00	30-09-2020
28	10-10-2019	आंध्रा बैंक	040220100133563	21.52	10-10-2020
29	01-11-2019	आंध्रा बैंक	040220100133970	147.44	01-11-2020
30	15-11-2019	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10453031057159	175.25	15-11-2020
31	21-11-2019	आंध्रा बैंक	040220100134377	4.00	23-11-2020
32	10-01-2020	इंडियन बैंक	6849232547	4.80	10-01-2021
33	15-01-2020	इंडियन बैंक	6850172728	14.90	15-01-2021
34	17-02-2020	आंध्रा बैंक	040220100135817	7.00	17-02-2021
35	13-03-2020	आंध्रा बैंक	040220100136162	29.00	13-03-2021
36	17-03-2020	सिंडीकेट बैंक	50374580000706/11	4.65	17-03-2021
<b>कुल</b>				<b>3,994.56</b>	

कृते एल एन मारु एंड कंपनी

सनदी लेखाकर

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारु

भागीदार

फर्म पंजीकरण सं : 106069W

सदस्यता सं . 033246

UDIN:20033246 ए ए ए 7521







# L N MARU & Co

Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382  
Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

Date: 25-09-2020

The Director,  
Comptroller & Auditor General of India,  
RTI Building, 6<sup>th</sup> Floor,  
Behind Asian Heart Hospital,  
BKC Bandra East, Mumbai

## CERTIFICATE

We hereby certify that we have physically verified Fixed Deposits receipts of NEIA Trust, having its registered address at NEIA Trust C/O ECGC Limited, Express Tower, 10<sup>th</sup> Floor, Nariman Point, Mumbai – 400021. The total Fixed Deposits receipts amounting to **Rs. 3,994.56 Crores** as on 31<sup>st</sup> March, 2020. Details of the Fixed Deposits are mentioned here under:

Details of Deposits in force as on 31st March, 2020					
Sr. No.	Date of Deposit	Name of the Bank	Instrument No.	Amount (Rs. in Crores)	Date of Maturity
1	03-05-2019	Punjab National Bank	127400LR00000057	96.35	03-05-2020
2	20-05-2019	Indian Bank	6757762920	9.40	20-05-2020
3	21-05-2019	Corporation Bank	530401037085848	146.60	21-05-2020
4	24-05-2019	Oriental Bank of Commerce	10453091004186	386.05	24-05-2020
5	24-05-2019	Corporation Bank	530401037136809	121.22	24-05-2020
6	01-06-2019	Punjab National Bank	127400LR00000066	20.40	01-06-2020
7	06-06-2019	Canara Bank	0172401004805/1	413.22	06-06-2020
8	13-06-2019	Indian Overseas Bank	001404000006022	202.87	12-06-2020
9	17-06-2019	HDFC Limited	PD/1585517	86.40	17-06-2020
10	18-06-2019	Union Bank of India	378903030092301	200.10	18-06-2020
11	18-06-2019	Indian Overseas Bank	001404000006037	102.80	18-06-2020
12	20-06-2019	HDFC Bank	5030034343649724	64.70	20-06-2020
13	28-06-2019	Corporation Bank	530401037678330	213.73	29-06-2020
14	28-06-2019	The South Indian Bank Ltd	0194101000005877	89.96	29-06-2020
15	09-07-2019	HDFC Bank	50300349123406	70.40	09-07-2020
16	31-03-2020	Punjab National Bank		67.31	30-06-2020



17	16-07-2019	Punjab National Bank	127400GR00000236	6.73	16-07-2020
18	22-07-2019	IndusInd Bank	300732151729	299.00	22-07-2020
19	23-07-2019	IndusInd Bank	300732151781	99.28	23-07-2020
20	23-07-2019	HDFC Limited	PD/1609082	127.65	23-07-2020
21	07-08-2019	HDFC Bank	50300356951482	324.72	07-08-2020
22	14-08-2019	The South Indian Bank Ltd	0194101000005910	7.50	14-08-2020
23	23-08-2019	ICICI Bank Ltd	000413258404	39.47	23-08-2020
24	03-09-2019	Punjab National Bank	127400GR00000245	8.72	03-09-2020
25	16-09-2019	ICICI Bank Ltd	000413261200	186.42	16-09-2020
26	25-09-2019	Punjab National Bank	127400GR00000254	10.00	25-09-2020
27	30-09-2019	HDFC Limited	BM/20052597	185.00	30-09-2020
28	10-10-2019	Andhra Bank	040220100133563	21.52	10-10-2020
29	01-11-2019	Andhra Bank	040220100133970	147.44	01-11-2020
30	15-11-2019	Oriental Bank of Commerce	10453031057159	175.25	15-11-2020
31	21-11-2019	Andhra Bank	040220100134377	4.00	23-11-2020
32	10-01-2020	Indian Bank	6849232547	4.80	10-01-2021
33	15-01-2020	Indian Bank	6850172728	14.90	15-01-2021
34	17-02-2020	Andhra Bank	040220100135817	7.00	17-02-2021
35	13-03-2020	Andhra Bank	040220100136162	29.00	13-03-2021
36	17-03-2020	Syndicate Bank	50374580000706/11	4.65	17-03-2021
<b>Total</b>				<b>3,994.56</b>	

For L N Maru & Co.  
Chartered Accountants

*L N Maru*



CA L N Maru  
Partner

FRN: 106069W

Membership No. 033246

UDIN: 20033246AAAAAH7521

